संख्याः 17एम(10)/35–आ–1/2011–61

प्रेषक,

हिमांशु सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

योजना आयोग–1 लखनऊः दिनांकः 25 अगस्त, 2011

विषयः जिला नवाचार योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि जनपदों में तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत जिला नवाचार योजना के कार्यान्वयन हेतु उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धान्त संलग्नक में दिये गये हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप योजना के कार्यान्वयन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

2– यह मार्गदर्शी सिद्धान्त वित्त विभाग के अशासकीय संख्या एफ.सी.यू.ओ–48/दस–2011 दिनॉक 24 अगस्त,2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीया,

(हिमांशु सिंह)
विशेष सचिव

संख्याः 17एम(10)/35–आ–1/2011–61 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव,डिपार्टमेन्ट आफ एक्सपेन्डीचर (वित्त आयोग डिवीजन),वित्त मंत्रालय भारत सरकार।
2– प्रमुख सचिव, राजस्व को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत योजना हेतु राजस्व विभाग की अनुदान में बजट में प्रावधानित धनराशि की अपेक्षित स्वीकृतियॉ निर्गत कराते हुए योजना को कार्यान्वित कराये जाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।
3–सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश
4–समस्त विकास विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
5–समस्त विकास विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
6–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
7–समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश
8–समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तर प्रदेश
9–नियोजन विभाग तथा राज्य योजना आयोग के समस्त अधिकारी

आज्ञा से,

(हिमांशु सिंह)
विशेष सचिव।

जनपद नवाचार योजना के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

जनपदों में सार्वजनिक अवस्थापनाओं के वाइटल गैप्स की स्थानीय समुदाय के सहयोग से पूर्ति करते हुए संबंधित अवस्थापना/परिसम्पत्ति को उपयोगी हालत में लाने अथवा उससे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुति अंतर्गत जनपदों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जाना परिकल्पित है, ताकि जनपद स्तर पर उपलब्ध सार्वजनिक अवस्थापनाओं/परिसम्पत्तियों से उपलब्ध होने वाली सेवाओं को जन–सहभागिता के ज़रिये कम लागत से प्रभावी ढंग से मुहैया करवाने/बेहतर बनाने के नवीन विकल्प खोजे जा सकें।

योजना का वित्त पोषण

जनपद नवाचार योजना का वित्त पोषण तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुति अंतर्गत केन्द्र सरकार से उपलब्ध होने वाली अनुदान धनराशि से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त स्थानीय समुदाय अथवा गैर सरकारी संस्थाओं से भी संसाधन जुटाये जायेगें।

अनुमन्य कार्य

योजनान्तर्गत शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से सृजित **स्थानीय समुदाय के उपयोग** की सरकारी अवस्थापनाओं/ परिसम्पत्तियों से संबंधित कार्य ही अनुमन्य होंगे। ऐसी अवस्थापनाओं/परिसम्पत्तियों के उन वाइटल गैप को भरने के कार्य लिये जायेगें, जिनमें कम लागत से सम्बन्धित अवस्थापना/परिसम्पत्ति को अल्पकाल में उपयोगी/कार्यशील अवस्था में लाया जा सके अथवा उनसे प्राप्त होने वाली सेवाओं में जल्द उल्लेखनीय वृद्धि/सुधार किया जा सके।

प्रतिबन्धित कार्य

- निधि से गैर–सरकारी संस्थाओं के नियंत्रणाधीन अवस्थापना/परिसम्पत्तियों से संबंधित कार्य नहीं लिये जायेगें।
- किसी ऐसी अवस्थापना/परिसम्पत्ति से संबंधित कार्य अनुमन्य न होगें, जिनसे जनसाधारण को सीधे कोई लाभ/सेवा प्राप्त न हो रही हो अथवा प्राप्त होने की कोई संभावना भी न हो।
- सामान्य मरम्मत तथा रखरखाव अथवा संचालन जैसी आवर्तक मदों पर निधि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

कार्यों का चयन	1–योजना से वित्त पोषण हेतु कार्यों का चयन निम्नानुसार गठित समिति द्वारा किया जायेगा:– 1– ज़िलाधिकारी – अध्यक्ष 2– मुख्य विकास अधिकारी – सदस्य 3– जनपद में कार्यरत दो स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि – सदस्य 4– ज़िला अर्थ एवं संख्याधिकारी – सदस्य सचिव 5– प्रस्तावित कार्य से सम्बंधित विभागीय अधिकारी – विशेष आमंत्री 6–प्रस्तावित कार्य में सहयोगी संस्था/ स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधि – विशेष आमंत्री 2– चयन में ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी, जहां अपेक्षाकृत कम लागत से अधिक एवं तत्काल लाभ प्राप्त हो सके। सामान्यतः रू. 10 लाख की लागत से कम के कार्य न लिये जायें। 3– किसी कार्य का चयन करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य अन्य किसी योजना में सम्मिलित/प्रस्तावित नहीं है।
कार्यदायी विभाग/ संस्था का चयन	ज़िलाधिकारी द्वारा चयनित कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यदायी संस्था का चयन वित्त विभाग के तद्विषयक आदेशों के अंतर्गत रहते हुए किया जायेगा।
कार्यों के आगणन	◆ चयनित कार्यों के आगणन सम्बंधित विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरांत गठित किये जायेंगे। ज़िलाधिकारी इन आगणनों का परीक्षण लोक निर्माण विभाग के स्थानीय अभियंता अथवा किसी अन्य उपयुक्त अधिकारी से करवा लेंगे। बाद में इन आगणन को पुनरीक्षित करने का अवसर सामान्यतः नहीं दिया जायेगा।
अपेक्षित जनसहभागिता	◆ चयनित कार्यों की लागत का केवल 90 प्रतिशत अंश ही शासन द्वारा वहन किया जायेगा, शेष 10 प्रतिशत अंश स्थानीय समुदाय अथवा किसी गैरसरकारी संस्था द्वारा लगाया जायेगा। ◆ चयनित कार्य की स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व जनसहभागिता के रूप में अपेक्षित 10 प्रतिशत धनराशि ज़िलाधिकारी के पास जमा करवा ली जायेगी।

चयन
:–

थाओं के

य सचिव
अधिकारी

स्थानीय

योगी, जहां
काल लाभ
की लागत

सुनिश्चित
न्य किसी

ादन हेतु
तद्विषयक

'कार्यदायी
ठित किये
क्षण लोक
केसी अन्य
न आगणन
नहीं दिया

तेशत अंश
0 प्रतिशत
गरी संस्था

से पूर्व
त धनराशि
।

कार्यों की स्वीकृति एवं धनराशि का निर्गमन

चयनित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति तथा कार्यदायी विभाग/संस्था द्वारा गठित लागत आगणन का अनुमोदन ज़िलाधिकारी द्वारा प्रदान किया जायेगा। तदोपरांत ज़िलाधिकारी कार्यदायी विभाग/संस्था को कार्य–आदेश जारी करेंगे और लागत की सीमा तक धनराशि सामान्यतः दो किश्तों में अवमुक्त की जायेगी।

आगणनों की तकनीकी स्वीकृति

कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियमों तथा तत्संबंधी शासनादेशों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

कार्य–पूर्ति प्रमाण–पत्र

कार्यदायी विभाग/संस्था द्वारा कार्य पूर्ण हो जाने पर ज़िलाधिकारी को कार्य–पूर्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध करवाया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे ज़िलाधिकारी द्वारा राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

- योजना अंतर्गत कार्यों के चयन हेतु गठित समिति द्वारा मासिक आधार पर स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार गुणवत्ता के साथ सम्पादित हो।
- ज़िलाधिकारी द्वारा योजना की प्रगति आख्या निर्धारित प्रारूप पर नियोजन विभाग/राजस्व विभाग को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी।
- राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित **उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति** द्वारा त्रैमासिक आधार पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की जायेगी। इन समीक्षा बैठकों के कार्यवृत्त की एक प्रति भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को सूचनार्थ उपलब्ध करवायी जायेगी।

लेखों का रखरखाव एवं लेखा सम्परीक्षा

योजना अंतर्गत किये जाने वाले व्यय का लेखा–जोखा ज़िलाधिकारी द्वारा नियमानुसार रखा जायेगा, जिसका आडिट प्रति वर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किया जायेगा।